मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत : सहायक कलक्टर (SDO) मावली

बईजलास : मनसुख राम डामोर, आर.ए.एस.

उनवान

1. श्री परथा पिता गणेश गाडरी निवासी प्रकाशपुरा तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री कन्ना पिता गेरा गाडरी निवासी प्रकाशपुरा तह. मावली।
2. श्री रामा पिता गेरा गाडरी निवासी प्रकाशपुरा तह. मावली।
3. श्री जेता पिता गेरा गाडरी निवासी प्रकाशपुरा तह. मावली।
4. श्री गोटु पिता हमेरा गाडरी निवासी प्रकाशपुरा तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
6. पटवारी पटवार हल्का पलानाकलां तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 128/17 (वाद) GCMS No. – 2017/00573

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मनसुख राम डामोर, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा पलानाकलां पटवार हल्का पलानाकलां तह. मावली हाल घासा की जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 की खाता सं. 270 पर दर्ज आराजी नम्बर 3464/3307, 3465/3307, 3482/3130, 3483/3130 किता 4 रकबा 4 बीघा 10 भूमि खातेदार नाथु पिता पुरा गाडरी के बजाय वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं, लेकिन 100 रूपये से अधिक मूल्य की स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 के प्रावधानो के अनुसार केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ही किया जा सकता है। अतः डिक्री का पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत उप पंजीयक कार्यालय से पंजीयन (Registration) कराया जाना आवश्यक होगा। पंजीयन के पश्चात ही डिक्री की पालना राजस्व रेकार्ड में तहसीलदार घासा द्वारा की जावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05.09.2024 को जारी की गई।

(मनसुख राम डामोर R.A.S.)
सहायक कलक्टर (SDO) मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.11 17:45:31 IST
Reason: SelfAttested